

हरियाणा में नया OBC कोटा जोड़ा गया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [हरियाणा सरकार](#) ने [करीमी लेयर](#) की सीमा [26%](#) से बढ़ाकर [28%](#) साथ ही [OBC-B](#) कोटा [5%](#) भी पेश किया है।

मुख्य बंदी

- हरियाणा में OBC की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का लगभग 40% है और इसमें 78 जातियाँ शामिल हैं।
- OBC-B श्रेणी के लिये 5% आरक्षण OBC-A श्रेणी के लिये पहले से लागू 8% कोटे के अतिरिक्त होगा।

अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC)

- OBC शब्द में नागरिकों के सभी वर्ग शामिल हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिड़े हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने नषिकर्ष नकिलाला कल OBC की पहचान करने के लिये करीमी लेयर के बहषिकार के सदिधांत को लागू किया जाना चाहयि।
- करीमी लेयर को OBC श्रेणी के उन लोगों के वर्गों के रूप में परभाषति किया जा सकता है जो अब पछिड़े नहीं हैं और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से देश के अन्य अग्रमि वर्गों के समान हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- संवैधान के [अनुच्छेद 15\(4\)](#) के तहत राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिड़े वर्ग यानी OBC की उन्नतता के लिये वशेष प्रावधान करने की शक्ति है।
- उन्नतता के लिये वशेष प्रावधान" में कई पहलू शामिल हैं जैसे- शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण, वत्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, मुफ्त आवास आदि।
- [अनुच्छेद 16\(4\)](#) के तहत राज्य को OBC के पक्ष में नयुक्तयिों या पदों के आरक्षण के लिये कानून बनाने का अधिकार है।